कार्यालय– अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर
छ0स्टे0पा0डिस्ट्री0कं0लि0, का क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल,
वन विद्यालय के सामने, गीदम रोड, जगदलपुर (छ0ग0) पिनकोडः–(494–001)

विषयः– विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 100961304 में अधिक विद्युत भार का देयक भुगतान के संबंध में।

प्रकरण क्रमांकः–
"जगदलपुर/3/2026"

श्रीमती पुष्पा दीक्षित, ...आवेदिका
ग्रामः– जाटम, तह0 जगदलपुर
मो0नं0 9425258454

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, ...अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 13.03.2026 को पारित किया गया)

(1) आवेदिका के मूल शिकायत दिनांक 14.01.2026 यह है कि :–

विषयांतर्गत लेख है कि, मैं श्रीमती पुष्पा दीक्षित, ग्राम जाटम में मेरे नाम पर 5 HP का विद्युत कनेक्शन है जिसका सर्विस क्रमांक 100961304 है। जिसमें मेरी अनुपस्थिति में विजिलेंस टीम द्वारा आकस्मिक स्थल निरीक्षण कर 14 HP भार उपयोग दिखाया गया किन्तु हमारे द्वारा स्वीकृत भार 5 HP से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है।

उक्त स्थल निरीक्षण मेरे उपस्थिति में करने हेतु मेरे द्वारा दिनांक 30.04.2024 एवं 29.09.2024 को आवेदन दिया गया परंतु आज पर्यन्त तक मेरी उपस्थिति में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। स्थल निरीक्षण के आधार पर अत्याधिक विद्युत भार का देयक भुगतान हेतु विद्युत विभाग द्वारा बिल दिया जा रहा है। जो कि अनुचित है।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि, उक्त स्थल निरीक्षण मेरे उपस्थिति में करने एवं अत्याधिक विद्युत भार का देयक संबंधित भुगतान का निराकरण करने का कष्ट करेंगे।

(2) यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांकः 5201 दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि :–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (2) विद्युत अधिनियम'2003 के तहत् नोटिस जारी करते हुए प्रकरण क्रमांक जगदलपुर/03/2026 आवेदिका श्रीमती पुष्पा दीक्षित, ग्राम–जाटम, जगदलपुर बी0पी0 क्रमांक 100961304 के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण के निराकरण के संबंध में बिन्दुबार जानकारी निम्नानुसार है :–

1. शिकायत का निपटारा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

2. उक्त प्रकरण पर उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने पर निपटारा संभव है।

3. प्रकरण के संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज के संबंध में अवगत करया जाता है कि निम्नदाब उपभोक्ता श्रीमती पुष्पा दीक्षित ग्राम – जाटम, जगदलपुर, बी0पी0 क्रमांक 1009161304 के द्वारा 5 एच0पी0 का मछली पालन हेतु कनेक्शन लिया गया है। उक्त कनेक्शन का कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर के दल द्वारा दिनांक 12.04.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें उपभोक्ता का भार 5 एच0पी0 के स्थान पर 14 एच0पी0 पाया गया था। कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर द्वारा पंचनामा 3171/20 तैयार कर नियमानुसार बिलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। तदानुसार सहायक अभियंता (उपसंभाग) जगदलपुर ग्रामीण द्वारा बिलिंग कर राशि रू0 20645.00 विद्युत देयक में जोड़ा गया। किन्तु उपभोक्ता द्वारा पुनः कनेक्शन की जांच किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। तत्संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3819 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से प्रकरण स्वीकृत भार से अधिक भार से संबंधित होने के कारण पुनः जांच किया जाना संभव नहीं है, का लेख करते हुए प्रकरण सहायक अभियंता (उपसंभाग) जगदलपुर ग्रामीण को वापस किया गया था। जिसकी जानकारी सहायक अभियंता (उपसंभाग) जगदलपुर ग्रामीण द्वारा पत्र क्रमांक 922 दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से उपभोक्ता को दी गयी थी। किन्तु उपभोक्ता द्वारा पत्र लेने से इन्कार कर दिया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित् है। अतः कम्पनी के नियमों के अधीन उपभोक्ता को सतर्कता जांच के विरूद्ध जारी विद्युत देयक का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

अवगत कराया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा आवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से अधीक्षण अभियंता (ज0वृ0) जगदलपुर कार्यालय में कनेक्शन की पुनः जांच किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, छ0स्टेटपॉ0डि0कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर द्वारा उक्त कनेक्शन की पुनः जांच दिनांक

08.01.2026 को की गयी एवं जिसमें भी उपभोक्ता द्वारा पुनः अधिक भार का उपयोग करते पाया गया है (पंचनामा की छायाप्रति संलग्न है)। उपभोक्ता द्वारा आवेदन में लेख किया गया है कि उनकी उपस्थिति में जांच किया जावें। यह भी अवगत कराया जाता है कि सतर्कता जांच दिनांक 12.04.2024 को उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री किशन के द्वारा पंचनामा में हस्ताक्षर किया गया एवं पुनः लगभग दो वर्ष पश्चात् दिनांक 08.01.2026 को सतर्कता जांच के पंचनामा में भी उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री किशन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

अतः उपभोक्ता को सतर्कता जांच के विरूद्ध जारी विद्यत देयक का भुगतान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(3) यह कि, दिनांक 18.02.2026 को सुनवाई में अनावेदक श्री प्रदीप कुमार अग्रवानी, कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर एवं आवेदिका के प्रतिनिधि श्री वेदांत दीक्षित, जगदलपुर उपस्थित हुए। जिसमें उभयपक्षों द्वारा निम्नानुसार कथन किया गया कि :–

(क) आवेदिका का कथन (आवेदिका प्रतिनिधि श्री वेदांत दीक्षित के माध्यम से कथन) :–

(i) दिनांक 12.04.2024 को विजिलेंस के टीम ने परिसर में निरीक्षण किया गया, वहां पर मेरे परिवार का मछली पालन का व्यवसाय संचालित है। हमारे अनुपस्थिति में 12.04.2024 को विजिलेंस टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उस समय वहां हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा इस संबंध में 30.04.2024 को आवेदन किया कि स्थल निरीक्षण मेरे उपस्थिति में किया जावे। जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। पुनः मैंने 29.09.2024 को पुनः आवेदन किया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त आवेदन पत्र सहा0यंत्री (उपसंभाग), धरमपुरा ग्रामीण को प्रस्तुत किया गया था। पुनः मैंने 15.01.2024 को अधी0अभि0 (ज0वृ0), जगदलपुर को इस संबंध में निवेदन पत्र दिया। जिस पर कार्यवाही करते हुए सतर्कता विभाग द्वारा 08.01.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया।

(ii) पूर्व में सतर्कता टीम ने जो निरीक्षण किया गया एवं वर्तमान में जो निरीक्षण किया गया उसमें काफी फर्क पाया गया। मेरे परिवार के द्वारा उक्त बोर में 5 एच0पी0 का पंप लगाया गया है जिसकी खरीदी की रसीद प्रस्तुत कर रही हुँ। मैं सतर्कता टीम द्वारा निर्देशित प्राप्त भार से असहमत हुँ अतः मुझे सतर्कता जांच के विरूद्ध लगाया गया अधिभार से मुक्त किया जाए। तथा प्रचलित टैरिफ के अनुसार पुनरीक्षित देयक जारी किया जाए।

(ख) अनावेदक का कथनः–

(i) उपभोक्ता द्वारा किया गया प्रथम आवेदन दिनांक 30.04.2024 पर तत्कालीन प्रभारी द्वारा कंपनी नियमानुसार समय रहते कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण विसंगतियां निर्मित हुई है। चूंकि जांच सतर्कता विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया गया था। जिसमें किसी भी प्रकार के बदलाव हेतु कार्य0अभि0 (सं0/सं0) संभाग, जगदलपुर अधिकृत नहीं है। वर्तमान कार्य0अभि0 के संज्ञान में आने के पश्चात् उपरोक्त पर कार्यवाही हेतु अधी0अभि0 (ज0वृ0), जगदलपुर को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित् किया गया है।

(ii) सतर्कता संभाग द्वारा जांच किये जाने पर उपभोक्ता परिसर में लगे हुए मीटर पर M.D. 10.40 किलो वॉट दर्शाया जाना जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। दर्शाये गये M.D. का पुष्टि हेतु उपभोक्ता परिसर में लगाये गये मीटर को कंपनी द्वारा अधिकृत टेस्टिंग लैब से जांच कराकर विवरण लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अधी0अभि0 (ज0वृ0), जगदलपुर द्वारा मार्गदर्शन/निर्देशन हेतु 15 दिवस की समय प्रदान करें।

प्रकरण में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी हेतु फोरम द्वारा की गई प्रश्नः–

प्रश्नः– उपभोक्ता परिसर का जांच 12.04.2024 को सतर्कता दल द्वारा किया गया जिस पर 30.04.2024 को उसके बाद 29.09.2024 को कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया जिस पर उचित समय में कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

अनावेदक का जवाबः– दिनांक 30.04.2024 के आवेदन के पश्चात् तत्कालीन प्रभारी (सहा0यंत्री) द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी उच्च कार्यालय को नहीं दी गई।

प्रश्नः– सहा0यंत्री द्वारा प्रकरण के जांच में असमर्थता दर्शाते हुए कार्य0यंत्री को पत्र सम्बोधित किया गया है। जिस पर कार्यपालन यंत्री द्वारा यह उल्लेख करते हुए भी जांच प्रतिवेदन में उपभोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किया जाना पाया गया है चूंकि प्रकरण भार वृद्धि से संबंधित है। अतः उपभोक्ता के परिसर की पुनः जांच किया जाना संभव नही हैं, कृपया बतायें कि पुनः जांच क्यों संभव नहीं है। इस संबंध में कोई आदेश हो बताया जावे।

अनावेदक का जवाबः– पुनः जांच किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर उनके मार्गदर्शन अनुसार जांच किया जाना संभव है। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि पुनः जांच नहीं किया जाना है। पत्र क्र0 दिनांक 27.11.2024 में कार्य0अभि0 (सं0/सं0) संभाग, जगदलपुर में

पदस्थ कार्य0अभि0 द्वारा उपरोक्त संबंध में पत्राचार किया गया है इस विषय में वर्तमान पदस्थ कार्य0अभि0 द्वारा कार्यवाही हेतु अधी0अभि0 (ज0वृ0), जगदलपुर को जानकारी दी गई है।

प्रश्नः— आवेदिका द्वारा अधी0अभि0 (ज0वृ0), छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर को दिनांक 15.01.2025 को पुनः जांच हेतु आवेदन लगाया गया जिस पर अधी0अभि0 (ज0वृ0), छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर द्वारा पत्र क्र0 3829 दिनांक 22.01.2025 को कार्य0अभि0 (सं0/सं0) संभाग, जगदलपुर एवं कार्य0अभि0 (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर को पत्र द्वारा पुनः संयुक्त जांच के लिए निर्देशित किया गया। जिस पर संयुक्त जांच न करते हुए केवल सतर्कता संभाग द्वारा दिनांक 08.01.2026 को जांच की गई।

अनावेदक का जवाबः— पत्र क्र0 3829 दिनांक 22.01.2025 के अनुसार अधी0अभि0 (ज0वृ0), छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर के आदेश अनुसार संयुक्त परीक्षण सतर्कता संभाग एवं सं0सं0 संभाग द्वारा किया जाना था। लेकिन उक्त पत्र के तारतम्य में संचा0/संधा0 संभाग द्वारा जांच नहीं किया गया। सतर्कता संभाग के द्वारा संयुक्त जांच नहीं करते हुए स्वयं द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पत्र क्र0 108 दिनांक 12.01.2026 को अधी0अभि0 (ज0वृ0), छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर को प्रस्तुत की गई।

प्रश्नः— दिनांक 12.04.2024 में पंचनामा अनुसार मीटर में अधिकतम भार M.D. के आधार पर 10.40 किलो वॉट दर्शाते हुए बनाया गया है एवं दिनांक 08.01.2026 को लोड करेंट के आधार पर भार की गणना की गई है। ऐसा विसंगति क्यों।

अनावेदक का जवाबः— क्योंकि यह जांच संयुक्त रूप से कार्य0अभि0 (सं0/सं0) संभाग, जगदलपुर द्वारा जनवरी'2025 में किया जाना था परंतु दिये गये समय पर संयुक्त जांच नहीं किया गया है उसके पश्चात् 08.01.2026 को सतर्कता संभाग द्वारा उनके जांच अनुसार जांच किया गया है। संयुक्त रूप से जांच नहीं किया गया है इसलिए इसका जानकारी देना संभव नहीं है।

प्रश्नः— आपके अनुसार M.D. का गणना मीटर द्वारा किन पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है।

अनावेदक का जवाबः— M.D. की गणना उपभोक्ता के परिसर में लगे हुए मीटर में दर्शित पैरामीटर्स में दर्शित C.M.D. के अनुसार किया जाता है। निरीक्षण प्रपत्र में C.M.D. का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रश्नः— क्या आपके द्वारा मीटर का परीक्षण केन्द्रीय जांच प्रयोगशाला से करवाई जायेगी, यदि करवाई जायेगी तो जिस पर कितना समय की आवश्यकता होगी।

अनावेदक का जवाबः— उक्त प्रकरण अधी0अभि0 (ज0वृ0), छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, जगदलपुर में प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्यालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना संभव है। जिसके लिए मुझे 15 दिवसों की समय देने का कष्ट करें।

(4) फोरम के निष्कर्ष — उभय पक्षों के मौखिक एवं लिखित तर्कों के अवलोकन उपरांत फोरम के संज्ञान में ज्ञात तथ्य निम्नानुसार है —

(i) यह कि, आवेदिका श्रीमती पुष्पा दीक्षित द्वारा ग्राम जाटम में 5 HP का विद्युत कनेक्शन लिया गया है जिसका सर्विस क्रमांक 1009161304 है। जिसमें आवेदिका के अनुपस्थिति में उपभोक्ता प्रतिनिधि के उपस्थिति में विजिलेंस टीम द्वारा आकस्मिक स्थल निरीक्षण कर 14 HP भार उपयोग दिखाया गया जो मीटर में दर्शित M.D. के आधार पर है। उक्त स्थल निरीक्षण के आधार पर अधिक विद्युत भार का देयक भुगतान हेतु विद्युत विभाग द्वारा बिल दिया जा रहा है वह अनुचित मानते हुए आवेदिका द्वारा आवेदिका के उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने हेतु दिनांक 30.04.2024 एवं 29.09.2024 को आवेदन दिया गया परंतु उक्त आवेदन पर विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया।

(ii) यह कि, अनावेदक द्वारा अपने जवाबदावा में लेख कर बताया गया है कि, उक्त कनेक्शन का कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर के दल द्वारा दिनांक 12.04.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें उपभोक्ता का भार 5 एच0पी0 के स्थान पर 14 एच0पी0 पाया गया था। कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर द्वारा पंचनामा 3171/20 तैयार कर नियमानुसार बिलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। तदानुसार सहायक अभियंता (उपसंभाग) जगदलपुर ग्रामीण द्वारा बिलिंग कर राशि रू0 20645.00 विद्युत देयक में जोड़ा गया। उपभोक्ता द्वारा पुनः कनेक्शन की जांच किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। अनावेदक के पत्र क्रमांक 3819 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से प्रकरण स्वीकृत भार से अधिक भार से संबंधित होने के कारण पुनः जांच किया जाना संभव नहीं है, का लेख करते हुए प्रकरण सहायक अभियंता (उपसंभाग) जगदलपुर ग्रामीण को वापस किया गया था। जिसकी जानकारी सहायक अभियंता (उपसंभाग) जगदलपुर ग्रामीण द्वारा पत्र क्रमांक 922 दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से उपभोक्ता को दी गयी थी। किन्तु उपभोक्ता द्वारा पत्र लेने से इन्कार कर दिया गया था। अतः कंपनी

नियमानुसार उपभोक्ता को सतर्कता जांच के विरूद्ध जारी विद्युत देयक का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

उपभोक्ता द्वारा आवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से अधीक्षण अभियंता (ज0वृ0) जगदलपुर कार्यालय में कनेक्शन की पुनः जांच किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, छ0स्टेटपॉ0डि0कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर द्वारा उक्त कनेक्शन की (संयुक्त रूप से न कर) पुनः जांच दिनांक 08.01.2026 को की गयी एवं जिसमें भी उपभोक्ता द्वारा पुनः अधिक भार का उपयोग करते पाया गया है (पंचनामा की छायाप्रति संलग्न है)। यह भार की गणना लोड करेंट के आधार पर की गई है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन में लेख किया गया है कि उनकी उपस्थिति में जांच किया जावें। यह भी अवगत कराया जाता है कि सतर्कता जांच दिनांक 12.04.2024 को उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री किशन के द्वारा पंचनामा में हस्ताक्षर किया गया एवं पुनः लगभग दो वर्ष पश्चात् दिनांक 08.01.2026 को सतर्कता जांच के पंचनामा में भी उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री किशन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

(iii) यह कि, दिनांक 18.02.2026 को सुनवाई के दौरान आवेदिका द्वारा कथन किया गया कि पूर्व में सतर्कता टीम ने जो निरीक्षण किया गया एवं वर्तमान में जो निरीक्षण किया गया उसमें काफी अंतर पाया गया। मैं सतर्कता टीम द्वारा निर्देशित प्राप्त भार से असहमत हुँ अतः मुझे सतर्कता जांच के विरूद्ध लगाया गया अधिभार से मुक्त किया जाए। तथा प्रचलित टैरिफ के अनुसार पुनरीक्षित देयक जारी किया जाए।

(iv) यह कि, सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा भी कथन किया गया कि कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर द्वारा उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर पर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये M.D. 10.40 किलो वॉट का उल्लेख किया गया है। दर्शाये गये M.D. का पुष्टि हेतु विद्युत कंपनी द्वारा अधिकृत टेस्टिंग लैब से जांच कराकर विवरण लिया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसके लिए 15 दिवस की समय प्रदान किया जावे।

(v) परिसर में स्थापित विद्युत मोटर की खरीदी रसीद संलग्न की गई है जो 5 H.P. दर्शित है।

(5) फोरम का निर्णय – आवेदिका एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन/विवेचन से फोरम इस निर्णय पर पहुंचता है कि :–

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जगदलपुर

(i) यह कि, आवेदिका के परिसर जांच एवं देयक में विसंगति हेतु बार–बार निवेदन के पश्चात् भी विद्युत कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। संबंधितों पर उचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

(ii) यह कि, केन्द्रीय परीक्षण कार्यालय से मीटर जांच हेतु दिया गया समय 18.02.2026 से 15 दिवस 05.03.2026 तक प्रस्तुत किया जाना था जो कि, आज दिनांक 13.03.2026 तक अप्राप्त है। यह अनावेदक द्वारा दिया गया वचन/समयावधि की अवहेलना है।

(iii) यह कि, कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, जगदलपुर द्वारा दिनांक 12.04.2024 उपभोक्ता के परिसर में स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें दर्शाये गये भार के अनुसार आवेदिका को विद्युत देयक जारी किया जा रहा है वह नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता। उक्त संबंध में फोरम यह आदेशित करता है कि उपभोक्ता के बिलिंग दिनांक 12.04.2024 से वर्तमान दिनांक तक की गई अतिरिक्त राशि अधिभार सहित विलोपित किया जावे तथा उपभोक्ता को फ्लैट दर पर कंपनी नियमानुसार पुनरीक्षित देयक जारी किया जावे। अतिरिक्त बिल की गई राशि का समायोजन आगामी देयक में किया जावे। उक्त कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन अनावेदक द्वारा आदेश जारी दिनांक से 15 कार्य दिवसों के भीतर फोरम कार्यालय जगदलपुर को उपलब्ध करावें।

(6) आदेश पारित।

(7) प्रकरण निराकृत।

(8) यदि आवेदिका/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिवस के भीतर **माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर (छ0ग0)** में अपील कर सकता है।

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर